प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में झालावाड़-बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा का निर्वाचन अन्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य संघ राज्यक्षेत्र) के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता/करती हूँ कि –

श्री प्रमोद भाया नाम, पता ग्राम बटावदा, तहसील बाराँ, जिला बाराँ, (राजस्थान), इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित (मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थानः बारां

तारीखः 11 दिसम्बर 2018

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN (State/Unionterritory) from ANTA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI PRAMOD BHAYA, VILLAGE BATAWADA TEHSIL BARAN, DISTRICT BARAN, (RAJASTHAN) sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BARAN

Date: 11TH December 2018

Signature A Signature

(recondenting officer

*Score out, if inappropriate.